



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन मवन, झारखण्ड, राँची

E-mail :- addlpcfddevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-49बी0/2015- 607 दिनांक -09.05.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला/सारण्डा वन प्रमण्डल, सारण्डा/विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, चाईबासा/जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर/जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2021-22 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वन भूमि पर वृक्षारोपण, तसर वृक्षारोपण, शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का वृक्षारोपण, गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं अवकृष्ट वन भूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए कुल **रु0 42.702 लाख (बयालीस लाख सत्तर हजार दो सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-53/2015-53/स्वी0 व0प0 दिनांक-06.01.2016 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-53/2015-34/आ0 व0प0 दिनांक 06.04.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंध के अंतर्गत आवंटित राशि से कुल **रु0 42.702 लाख (बयालीस लाख सत्तर हजार दो सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796580103	36.182
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796580323	6.520
कुल :-		42.702

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1(क)** से **1(ड0)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2(क)** से **2(ग)** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- पी0 19S240601796580103 तथा पी0 19S240601796580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वन प्रमण्डलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसका प्रमंडलवार समेकित प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित किया जाएगा।

नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देगे।

9. इस योजनान्तर्गत यानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी। वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-49बी0/2015-607 दिनांक- 09.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/प्रादेशिक अंचल, दुमका/प्रादेशिक अंचल, गुमला/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-49बी0/2015-607 दिनांक- 09.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा/कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर /कोषागार पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां/कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा/कोषागार पदाधिकारी, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-49बी0/2015-607 दिनांक- 09.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची/उप वन संरक्षक, योजना, जनजातीय क्षेत्र, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत वन भूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)					
क. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक (हे० में)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			10152.38	2182.40	12334.78
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	60.00	6.091	1.309	7.400
2	साएण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा	40.00	4.062	0.873	4.935
योग :-		100.00	10.153	2.182	12.335

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत तसर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)					
क. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक (हे० में)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			13370.98	2402.50	15773.48
i	ii	iii	iv	v	vi
1	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, चाईबासा	50.00	6.686	1.201	7.887
योग :-		50.00	6.686	1.201	7.887

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)					
क. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक (हे० में)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			13370.98	2402.50	15773.48
i	ii	iii	iv	v	vi
1	जमशेदपुर वन प्रमंडल जमशेदपुर	25.00	1.200	0.841	2.041

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)					
क. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक (हे० में)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			10152.38	2182.40	12334.78
i	ii	iii	iv	v	vi
1	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा	40.00	4.061	0.873	4.934
	योग :-	40.00	4.061	0.873	4.934

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)					
क. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक उपलब्धि (हे० में)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			7163.68	961.00	8124.68
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	60.00	4.298	0.577	4.875
2	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	38.00	2.722	0.365	3.087
3	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, चाईबासा	50.00	3.582	0.481	4.063
	योग :-	148.00	10.602	1.423	12.025
	सकल योग :-	373.00	36.182	6.520	42.702

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : शीघ्र बढ़ने वाले पौधे का रोपण / तसर वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 2500 पौधे

पौधों की दूरी : 2 मी० x 2 मी०

मजदूरी दर 229.90 प्रति मानव दिवस

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभिव्यक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2017-18 में सम्पौषण कार्य (तृतीय वर्ष)							
1	एक कोडनी-निकौनी	हे०	35.00	8046.50	0.00	8046.50	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / उरिया, जैविक किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	1962.50	1962.50	
3	पौधों की सुरक्षा						
3.1	30 हे० तक	हे०	12.16	2795.58		2795.58	
3.2	30 हे० से 60 हे० तक						
4	घेरान मरम्मति	चेन	6.00	1379.40	0.00	1379.40	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	5.00	1149.50	440.00	1589.50	
योग :-			58.16	13370.98	2402.50	15773.48	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम- भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि/ गैर वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी० X 2 मी०)

मजदूरी दर 229.90 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	8
(A) वित्तीय वर्ष 2017-18 में सम्पौषण कार्य (तृतीय वर्ष)							
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे०	23.00	5287.70	0.00	5287.70	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1892.40	1892.40	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	हे०	12.16	2795.58	0.00	2795.58	
	पौधों की सुरक्षा (30 हे० से अधिक)						
4	गड़ढा घेसान की मरम्मत	घेन	1.00	229.90	0.00	229.90	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	3.00	689.70	290.00	979.70	
6	सिंगलिंग एवं प्रुनिग	हे०	5.00	1149.50	0.00	1149.50	
योग :-			44.16	10152.38	2182.40	12334.78	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना

पौधों की संख्या प्रति हे०

:

1000 पौधे

मजदूरी दर

229.90 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2017-18 में सम्पादन कार्य (तृतीय वर्ष)						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	14.00	3218.60	0.00	3218.60	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ उरिया, जैविक किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	785.00	785.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	हे०	9.16	2105.88		2105.88	
	पौधों की सुरक्षा (30 हे० से अधिक)						
4	घेरान मरम्मत	हे०	6.00	1379.40	0.00	1379.40	
6	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	2.00	459.80	176.00	635.80	
योग :-			31.16	7163.68	961.00	8124.68	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

राज्य विधीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निर्धारित दरमय एवं बाजट शीर्ष के समस्त अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-49b/15/607

दिनांक - 09-May-2

क्रमांक	विषय कोड	एकरोस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिवृष्टि वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वन एवं भू-संरक्षण 03 - पत्रद्वारा	29283	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	809,100.00 रुपये छः लाख नौ हजार एक सौ
	State Scheme : Central Scheme :			
2	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिवृष्टि वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वन एवं भू-संरक्षण 03 - पत्रद्वारा	29285	SGHFOR011 SRI.SATISH CHANDRA RAI D.F.O.SARANDA FOREST DIV,IFS	406,200.00 रुपये चार लाख छः हजार दो सौ
	State Scheme : Central Scheme :			
3	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिवृष्टि वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वन एवं भू-संरक्षण 03 - पत्रद्वारा	29286	SGHFOR012 SRI ANIL KUMAR SHRIVASTAWA D.F.O. W. F. PRO.DIV.CBSA,	1,026,800.00 रुपये दस लाख शतांश हजार आठ सौ
	State Scheme : Central Scheme :			

योग.

2,042,100.00

क्रमिक योग:

रुपये दोस लाख शतांश हजार एक सौ

JITENDRA SATNAM SINGH

क्रमांक	विषय कोड	एकरोस नं	निकासी एवं व्यवस्थापक	आवंटित राशि
4	S 19 240601796580103 2406 - बागवानी तथा अन्य पार्श्व 01 - बागवानी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अतिरिक्तित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं प्र-संरक्षण 01 - क्षेत्र एवं अन्य 03 - मजदूरी	29290	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. JAMSHEDPUR PRM. JSR.	740,200.00 रुपये सात लाख धारणीय हजार दो सौ

State Scheme :

Central Scheme :

5	S 19 240601796580103 2406 - बागवानी तथा अन्य पार्श्व 01 - बागवानी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अतिरिक्तित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं प्र-संरक्षण 01 - क्षेत्र एवं अन्य 03 - मजदूरी	29291	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	406,100.00 रुपये चार लाख छ हजार एक सौ
---	---	-------	--	--

State Scheme :

Central Scheme :

6	S 19 240601796580103 2406 - बागवानी तथा अन्य पार्श्व 01 - बागवानी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अतिरिक्तित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं प्र-संरक्षण 01 - क्षेत्र एवं अन्य 03 - मजदूरी	29293	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	429,800.00 रुपये चार लाख उन्नीस हजार आठ सौ
---	---	-------	---	---

State Scheme :

Central Scheme :

योग

1,576,100.00

क्रमिक योग:

रुपये छत्तीस लाख अठारह हजार दो सौ

3,618,200.00



(SHRI SATNAM SINGH)

क्रमांक	विषय कांड	एकड़ों में	निकासी एवं व्यवस्थापक पदा.	आवधिक रशि
7	S 19 240601796580323 2406 - वारिकी तथा धन्य प्राणी 01 - वारिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपप्रायोजन 58 - अधिभूत वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - अगुनि एवं मायगी	29297	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	130,900.00 रुपये एक लाख तीन हजार नौ सौ

State Scheme :

Central Scheme :

8	S 19 240601796580323 2406 - वारिकी तथा धन्य प्राणी 01 - वारिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपप्रायोजन 58 - अधिभूत वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - अगुनि एवं मायगी	29289	SGHFOR011 SRI.SATISH CHANDRA RAI D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	87,300.00 रुपये सित्तरसी हजार तीन सौ
---	---	-------	---	---

State Scheme :

Central Scheme :

9	S 19 240601796580323 2406 - वारिकी तथा धन्य प्राणी 01 - वारिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपप्रायोजन 58 - अधिभूत वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - अगुनि एवं मायगी	29300	SGHFOR012 SRI ANIL KUMAR SHRIVASTAWA D.F.O. W. F. PRO.DIV.CBSA.	168,200.00 रुपये एक लाख अठसठ हजार दो सौ
---	---	-------	---	--

State Scheme :

Central Scheme :

योग	386,400.00
कमिक योग	4,004,600.00

रुपये चार लाख चार हजार छः सौ



ISHAR SATNAM SINGH

क्रमांक	विषय कांड	एम्प्लॉय नं	निकासी एवं व्यवसाय पदा.	आवंडित राशि
10	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा अन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अतिप्रचलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं सु-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29302	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. JAMSHEDPUR PRM.JSR.	120,600.00 रुपये एक लाख बीस हजार सौ श्री

State Scheme :

Central Scheme :

11	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा अन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अतिप्रचलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं सु-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29305	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	87,300.00 रुपये सित्तासी हजार तीन सौ
----	--	-------	--	---

State Scheme :

Central Scheme :

12	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा अन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अतिप्रचलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं सु-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29307	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	57,700.00 रुपये सत्ताथिन हजार सात सौ
----	--	-------	---	---

State Scheme :

Central Scheme :

योग		265,600.00
क्रमिक योग:	रुपये बयासीस लाख सत्तर हजार दो सौ	4,270,200.00


(Satnam Singh)